03/9/2022 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित हैं। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई विस्तृत निर्णय हेतु पत्रावली का गहन अध्ययन करने पर अपील प्रार्थी स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में अपील प्रार्थी स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दर्ज शुमार रजिस्टर नम्बर से कम होवे। बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर भण्डार हो कराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

अपील संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
04 / 2021	24.08.2021	09.09.2022

/ / उनवान / /

1. विरेन्द्र पुत्र दाताराम जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 :– अपीलान्ट

बनाम

1 ग्राम पंचायत मुण्डनवाडा कलां जर्ये सरपंच पं0सं0 मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

2 ओमप्रकाश

3 उदयसिंह

4 शक्तिसिंह पुत्रान दाताराम जातियान अहीर निवासीयान मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

–: रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 277
दिनांक 10.08.1989 वाके ग्राम भोजपुरी ग्राम पंचायत
मुण्डनवाडा कलां तह0 मुण्डावर,जिला अलवर, राज0

उपस्थितिः– 1 श्री मदनलाल सावंरिया– अपीलान्ट
2 श्री सरजीत सिंह चौधरी – वकील रेस्पो0 सं0 2, 3, 4

निर्णय

दिनांक– 09.09.2022

आज यह अपील पत्रावली सुनाये जाने पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित आये। अपीलान्ट की अपील का सारतः रहा कि आराजी हाल खं0नं0 306 / 1.06 है0 वाके ग्राम भोजपुरी तह0 मुण्डावर में स्थित होकर सूरजा, शिम्भू पुत्रान हरदेव, थावर श्रीचन्द पुत्रान रामेश्वर जातियान अहीर निवासीयान भोजपुरी तह0 मुण्डावर के 1/4 भाग कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसे दिनांक 28.07.1988 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर रजिस्टर्ड बयनामा मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 ल0 4 के हक में तस्दीक करा दिया गया था तथा मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान खरीद के बाद से आराजी पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करने लग गये। मुताबिक बयनामा इन्तकाल दर्ज कराने हेतु ग्राम पंचायत में पेश किया, परन्तु ग्राम पंचायत मुंडनवाडा कलां द्वारा बिना बयनामे की जांच किये ही इन्तकाल रेस्पोडेन्ट सं0 2 ल0 4 के नाम दर्ज कर मिन अपीलान्ट का नाम हजफ कर दिया जो कानूनन गलत है जबकि मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 ल0 4 द्वारा आराजी संभाग में खरीद की थी। उक्त इन्तकाल सं0 277 काबिल निरस्त है मिन अपीलान्ट अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज होकर अपने हिस्सेअनुसार आराजी पर काश्त करता आ रहा है। इसलिए मिन अपीलान्ट को उक्त आलोच्य इन्तकाल पारित होने का कतई ज्ञान नहीं था आदि–आदि अंकित करते हुये मय दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र सहित अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पं0 मुंडनवाडा कलां तह0 मुण्डावर का आदेश दिनांक 10.08.1989 इन्तकाल सं0 277 वाके ग्राम भोजपुरी तह0 मुण्डावर को निरस्त फरमाया जाकर बयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें का निवेदन रहा।

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। रेस्पोडेन्टान की बाद विधिवत तलबी रेस्पोडेन्ट सं0 01 अनुपस्थित रहा एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2, 3, 4 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुये सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये।

अपीलान्ट ने अपनी अपील की ताईद में नकल इन्तकाल सं0 277 दिनांक 10.09.1989, नकल जमाबंदी सम्वत् 2044, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75, नकल बयनामा दिनांक 28.07.1988 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील अपीलान्ट की अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 05 मियाद अधिनियम की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील एवं दफा 05 के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि आराजी हाल खं0नं0 306/1.06 है0 वाके ग्राम भोजपुरी तह0 मुण्डावर में स्थित होकर सूरजा, शिम्भू पुत्रान हरदेव, थावर श्रीचन्द पुत्रान रामेश्वर जातियान अहीर निवासीयान भोजपुरी तह0 मुण्डावर के 1/4 भाग कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसे दिनांक 28.07.1988 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर रजिस्टर्ड बयनामा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 ल0 4 के हक में तस्दीक करा दिया गया था तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान खरीद के बाद से आराजी पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करने लग गये। मुताबिक बयनामा इन्तकाल दर्ज कराने हेतु ग्राम पंचायत में पेश किया, परन्तु ग्राम पंचायत मुंडनवाडा कलां द्वारा बिना बयनामे की जांच किये ही इन्तकाल रेस्पोडेन्ट सं0 2 ल0 4 के नाम दर्ज कर अपीलान्ट का नाम हजफ कर दिया जो कानूनन गलत है जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 ल0 4 द्वारा आराजी संभाग में खरीद की थी। उक्त इन्तकाल सं0 277 काबिल निरस्त है अपीलान्ट अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज होकर अपने हिस्सेअनुसार आराजी पर काश्त करता आ रहा है। इसलिए अपीलान्ट को उक्त आलोच्य इन्तकाल पारित होने का कतई ज्ञान नहीं था। अपीलान्ट ने अपनी अपील के ताईद में नकल इन्तकाल सं0 277 दिनांक 10.09.1989, नकल जमाबंदी सम्वत् 2044, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75, नकल बयनामा दिनांक 28.07.1988 पेश किये जो शामिल पत्रावली है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजात के माध्यम से अपीलान्ट ने अपनी अपील को पूर्णरूप से साबित कर दिया है अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पं0 मुंडनवाडा कलां तह0 मुण्डावर का आदेश दिनांक 10.08.1989 इन्तकाल सं0 277 वाके ग्राम भोजपुरी तह0 मुण्डावर को निरस्त फरमाया जाकर बयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें का अभिकथन किया।

वकील अपीलान्ट की प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मुण्डनवाडाकलां तहसील मुण्डावर द्वारा निर्णित इन्तकाल सं0 277 दिनांक 10.08.1989 वाके ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं आराजी ख0नं0 306 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर के 1/4 भाग के बाबत मुताबिक बयनामा दिनांक 28.07.1988 के अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 ल0 4 के नाम अमल दरामद किये जाने के

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

आदेश दिये जाते है। इस हेतु निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार मुण्डावर को अमल दरामद किये जाने अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आदेश आज दिनांक 09.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

09-09-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी,
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0